



न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांक:- ओ.एस.डी./नविवि/16/1474

दिनांक:- 30-11-2016

1. फूलचन्द पुत्र मंगलचन्द खसरा नं. 368 रकबा 21-10 बीघा-बिस्वा
2. रामप्यारी पत्नि स्व. लादूराम मोहनलाल, खसरा नं. 332 रकबा 23-10 बीघा-बिस्वा
प्रभुदयाल, अनिल(फोट), राजूलाल, रमेश,
ललिता देवी, संतोष पुत्र-पुत्रीयान् स्व.
लादूराम हि. 2/3
3. दीपचन्द, दामोदर पुत्र भैरु हि. 1/2 खसरा नं. 349 रकबा 20-10 बीघा-बिस्वा

निवासी ग्राम देवरी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.2015 की पालना बाबत। (निर्णय की छाया प्रति संलग्न)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.2015 में मण्डल अधिवक्ता की राय अनुसार (Hon'ble Supreme Court Vide its judgment dt. 1.5.2015 upheld the rate of compensation to be paid to the khatedars @ Rs. 100/- sq. yard with other Statutory benefits) खातेदारों को मुआवजा स्वरूप 100 रुपये प्रति गज व केन्द्रिय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 34 व 23(2) में देय परिलाभ का निर्णय किया गया है। जिनमें से निम्न खातेदारों को अवार्ड में व प्रार्थना पत्रों के अनुसार चाही गई मुआवजा राशि में हिस्सा व स्वामित्व में परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना नहीं की जा सकती। जिनका विवरण निम्नप्रकार से है :-

खसरा नं. 368 में फूलचन्द पिता स्व. श्री मंगलचन्द हि. 1/2 ने मुआवजा राशि की मांग की है व नारायण, पाचूं, गोकुल पुत्रान् स्व. श्री पन्ना ने प्रार्थना की रामदेव ने अपने हिस्से में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1976 को उप पंजीयक जयपुर के समक्ष प्रार्थीगण नारायण पुत्र पन्ना, पाचूराम पुत्र पन्ना, गोकुल पुत्र पन्ना के हक में 7 बीघा 7 बिस्वा का बेचान कर दिया था। इसी प्रकार 21 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 मंगल चन्द के मृत्यु के उपरान्त इकलोती संतान फूलचन्द पुत्र मंगल चन्द ही कानूनी वारिस है। जबकि अवार्ड दिनांक 02.01.1989 के अनुसार मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव, सरजू बेवा रामदेव हि. 1/2 चुन्नी लाल, मंगल पुत्र धन्ना ग्राम देवरी दर्ज है। (अवार्ड/प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति संलग्न)


खसरा नं. 332 में मोहनलाल, रमेश, राजूलाल, प्रभुदयाल पुत्रान् स्व. श्री लादूराम, रामप्यारी पत्नि लादूराम, ललिता, संतोष, पुत्रियां लादूराम 1/3 सोनी देवी, धन्नी देवी पुत्रियां स्व. श्री किशनाराम हि. 2/3 साथ ही स्व. चमेली देवी पुत्री किशना राम के वारिसान् शंकर लाल, जगदीश, नन्दकिशोर, सुगना देवी, लाली देवी ने मुआवजा राशि की मांग की है, क्योंकि स्व. श्री किशनाराम जी के हिस्से में सोनी देवी, धन्नी देवी व स्व. चमेली देवी का हिस्सा भी बनता है, और हम चमेली देवी के सन्ताने हैं। जबकि अवार्ड के अनुसार किशनलाल पुत्र रामपाल हि. 1/3, लादूराम पुत्र किशनलाल हि. 2/3 ग्राम देवरी दर्ज है। (अवार्ड/प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति संलग्न)

खसरा नं. 349 में शोभागमल, अशोक, कमला देवी, रतनी देवी, चमेली देवी, बीना देवी, शान्ति देवी, वारिसान् स्व. डाला देवी एवं गुलाब, फूला देवी पुत्रीयान् भैरुराम ने मुआवजा राशि की मांग की है साथ ही दामोदर प्रसाद पुत्र श्री भैरु ने उक्त खसरा नं. में अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार 7/16 हिस्सा देने की मांग की है। जबकि अवार्ड के अनुसार सत्यनाराण,

रिकार्ड के अनुसार 7/16 हिस्सा देने की मांग की है। जबकि अर्वाड के अनुसार सत्यनाराण, दीपचन्द, कमल प्रसाद पिता भैरू, दामोदर पुत्र भैरू ग्राम देवरी दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात् दामोदर व दीपचन्द द्वारा ही अपील की गई थी। (अर्वाड/प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति संलग्न)

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अर्वाड व प्रार्थियों द्वारा मांगी जा रही मुआवजा राशि से स्वामित्व व हिस्सा विवादित प्रतीत होता है। जिस पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। इसलिए प्रकरण को उसके गुण-अवगुण के आधार पर प्रथम दृष्टया विवादित मानते हुए धारा 30 भूमि अर्वापति अधिनियम के तहत माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जयपुर को निर्णय हेतु भिजवाया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(राजेन्द्र प्रसाद कारी)
नगरीय विकास विभागाधीवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, सीज0, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांक:- ओ.एस.डी./नविवि/17/1572

दिनांक:-17-1-2017


माननीय सिविल न्यायाधीश,
वरिष्ठ खण्ड-जयपुर।

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.2015 की
पालना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में संलग्न प्रकरणों को विवादित मानते हुए आपको धारा 30 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत निर्णय हेतु दिनांक 30.11.2016 को इस न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया था, आपके कार्यालय द्वारा बताई गई त्रुटियों को पूर्ण कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(राजेंद्र प्रसाद काशीव)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मु.स.प्र./रा.आ.म./जयपुर/2022-23/335

दिनांक: 28/06/2022

कार्यालय-आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों के जारी आवंटन पत्रों में उल्लेख किया जाता है कि आवंटित भूखण्ड पर नियत 2 वर्ष में निर्माण कराना अनिवार्य है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह शर्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिए है अथवा निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित है।


नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भवन विनियम-2020 के दिन्दु संख्या 8.11 में उल्लेख किया गया है कि भवन अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड में उल्लेखित अवधि या सात वर्ष जो भी कम हो, देय होगी। लीजडीड जारी होने के दिवस/दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि में भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त कर निर्माण प्रारम्भ किया जाना आवश्यक होगा एवं लीजडीड की शर्तों के अनुसार निर्माण अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाकर निर्माण अवधि बढ़वानी होगी।

चूंकि भवन विनियम-2020 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी अंगीकार किये जा चुके हैं। अतः राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों के जारी आवंटन पत्रों में उल्लेखित शर्तों में निर्माण कार्य शुरू करने की सीमा कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष तक तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 7 वर्ष तक की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक विधि/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, पी एण्ड एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
11. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करे।
12. मास्टर फाईल।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक



Rajasthan Housing Board, Division - 6, Jaipur

S. No.	Land Acq. Case No.	Civil APPEAL		Appellant	Contempt		Contempt Appellant	Awardee Khatedar	Name of Father/Husband	Khasra			Payment Status	
		No.	Yr		No.	Yr				Nos.	Bigha	Biswa		Total Sq. Yd.
1	1/82/ 73	1619-20	2013	Devnarayan	519-20	2016	Devnarayan	Devnarayan	Hardev	321	3	18	11797.50	Payment paid to Khatedar
2	1/82/ 74	1621-22	2013	Keshar Lal & Ors	621-22	2016	Keshar Lal	Sukharam	Munna	338	7	3	21628.75	
							Gopal			322	3	17	35,846.25	
							Kanhaiya Lal			340	8	0		
							Rameshwari Devi							
							Mukesh							
							Radha							
							Meena Devi							
							Arti Devi							
							Puja							
3	1/82/ 75	1625-26	2013	Nathu	525-26	2016	Nathu	Nathu	Balu	323	12	7	37358.75	
4	1/82/ 76	1623-24	2013	Ramnarayan (By Lrs)	566-67	2016	Ramnarayan (Lrs)	Raghunath	Birdha	324	12	08	37510.00	
5	1/82/ 81	1631-32	2013	Bhagwan Sahai & Ors	743-44	2016	Kajodmal	Ramnarayan	Raghunath					
							Prabhu Dayal	Boduram	Sukha Ram	335	22	7	67608.75	
6	1/82/ 83	1615-16	2013	Kamali	478-79	2016	Kamali	Chothu	Bhuwana	336	11	00	33275.00	
7	1/82/ 88	1611-12	2013	Balu & Anr	521-22	2016	Balu	Bhalil	Nathu	353	21	07	64583.75	
							Bhorilal	Bhorilal	Nanaga					

S. No.	Land Acq. Case No.		CIVIL APPEAL		Appellant		Contempt		Contempt Appellant			Awarded Khatedar	Name of Father/Husband	Khasra				Payment Status	
	No.	Yr	No.	Yr	No.	Yr	No.	Yr	No.	Yr	No.	Bigha	Biswa	Total Sq. Yd.	Nos.	Bigha	Biswa	Total Sq. Yd.	Payment Status
8	1/82/89	2013	1609-10	2013	Gopi	2016	523-24	2016	Gopi	Gopi Ram	Nathu	22	1	66701.25	355	22	1	66701.25	Payment paid to Khatedar
9	1/82/92	2013	1617-18	2013	Ram Chandra & Anr	2016	748-49	2016	Ram Chandra	Ram Chandra	Bhori Lal	13	14	41442.50	362 to 366	13	14	41442.50	
10	1/82/93	2013	1613-14	2013	Bhag Chand & Ors	2016	551-52	2016	Bhag Chand	Bhag Chand	Jhutha Ram	18	18	57172.50	367	18	18	57172.50	
11	1/82/98	2013	1627-28	2013	Mangi Lal & Ors	2016	644-45	2016	Mangi Lal	Mangi Lal	Gulla	21	00	63525.00	376	21	00	63525.00	
									Viridhi Chand	Viridhi Chand	Billa								
									Sita Ram	Sita Ram									
12	1/82/79	2013	1607-08	2013	Rampyari & Ors	2016	564-65	2016	Mohan Lal (Lrs)	Kishan Lal	Ram Pal	23	10	71087.50	332	23	10	71087.50	
									Ramesh Chander Raju Lal	Ladu Ram	Kishan Lal								
									Damodar	Satya Nariain	Bheru	20	10	62012.50					
13	1/82/86	2013	1629-30	2013	Damodar & Anr	2016	668-69	2016	Deep Chand	Deep Chand				349	20	10	62012.50		
									Kamal Prasad	Kamal Prasad									
									Damodar	Damodar									
14	1/82/94	2013	1633-34	2013	Mangal & Ors	2016	750-51	2016	Mangal	Mangal	Panna	21	10	65037.50	368	21	10	65037.50	Due to title dispute case referred to civil judge
									Laxman	Chunni Lal									
										Moti	Ram Dev								

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



PHOTO

॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक / /2022 को सचिव की ओर से उप आवासन आयुक्त, जयपुर वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर की ओर से जिन्हे इस पत्र मे

(प्रथम पक्ष)

से सबोधित किया जायेगा की ओर से श्री..... आयु वर्ष
जाति, निवासी, राजस्थान प्रान्त
(Aadhar Card No.)

(द्वितीय पक्ष)

उपरोक्त पक्षकारो के मध्य निम्न प्रकार तहरीर किया गया :-

जो कि दिनांक ईस्वी को प्रथम पक्ष ने अपने निर्धारित ई-नीलामी की शर्तो के अनुसार दुकान/भूखण्ड संख्या कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर जिसका कि पूरा विवरण इस लेख पत्र के अन्त में दिया हुआ है, को नीलाम की थी। प्रथम पक्ष की उक्त ई-नीलामी की शर्तो को द्वितीय पक्ष दिनांक ईस्वी को ई-नीलामी के समय स्वीकार कर चुका हैं। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में उक्त सम्पत्ति का आवंटन पत्रांक दिनांक को जारी किया गया। द्वितीय पक्ष की अधिकतम बोली के कुल रूपये/- (अक्षरे) प्रथम पक्ष ने स्वीकार करते हुए विक्रय की गई दुकान/भूखण्ड का कब्जा दिनांक ईस्वी को द्वितीय पक्ष को दिया गया हैं। अतः विक्रय पत्र निम्न प्रकार तहरीर किया गया :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने दुकान/भूखण्ड की कीमत/- (अक्षरे) ई-नीलामी की स्वीकृति बोली के आधार पर जमा करा दी हैं और दुकान/भूखण्ड का कब्जा सम्भाल लिया हैं। विक्रय की गई दुकान/भूखण्ड का पता इस प्रलेख पत्र पर संलग्न किया जा चुका हैं, जो इस प्रलेख पत्र का ही एक भाग माना जाये।

2. यह कि उक्त दुकान भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त करो की अदायगी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित लीज राशि प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष को, प्रथम पक्ष को अदा करनी होगी। दुकान भूखण्ड की वार्षिक लीज राशि रूपये/- (अक्षरे रूपये) निर्धारित है। उक्त सम्पत्ति का प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में अदेय प्रमाण पत्रांक दिनांक को जारी किया गया है।

(2)

3. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये समय पर समस्त अदायगी प्रदान करना आवश्यक होगा। ई-नीलामी की शर्तों जिनके आधार पर की दुकान/भूखण्ड नीलाम की गई हैं। वह भी इस विक्रय पत्र का भाग मानी जायेगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को दुकान/भूखण्ड के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, नगर परिषद् व अन्य सम्बन्धित ऑथोरिटीज के सम्बन्धित नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

5. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल "डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी" रेगुलेशन 1970 के नियमों का पालना करना होगा। यह नियम भी इस विक्रय पत्र के नियम माने जायेंगे।

6. यह कि पक्षकारों के मध्य प्रलेख पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद, राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति के द्वारा निर्णित किया जायेगा। जिनके निर्णय से दोनों पक्षकार पाबन्द होंगे।

यह विक्रय पत्र पक्षकारों ने स्वेच्छा से आज दिनांक / / 2022 को तहरीर किया है।

विक्रय की गई दुकान/भूखण्ड रुपये/- (अक्षरे रुपये
.....) में ही विक्रय की गई है।

उक्त विक्रय पत्र आज दिनांक / / 2022 को स्वेच्छा से तहरीर किया गया ताकि सनद् रहें।

दुकान/भूखण्ड का विवरण :-.....

दुकान/भूखण्ड संख्या

कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर का स्थित हैं।

दुकान/भूखण्ड के उत्तर में	:
दक्षिण में	:
पूर्व में	:
पश्चिम में	:

प्रथम पक्ष
राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से

द्वितीय पक्ष

(.....)